# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः- 60/अ-59/2017-18/ 5559 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 121 तहसील मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम सिरडी में आयोजित ग्राम सभा में, मौजा सिरडी तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 247 रकबा 0.247 हेक्टेयर में से 0.202 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त भूमि को आबादी घोषित करने के उपरांत भी लगभग 08 मीटर का रास्ता शेष बचता है, जिससे ग्रामवासियो को आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी, उक्त भूमि ग्राम से लगी हुई है, जो आबादी घोषित करने के लिए सुविधाजनक है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा सिरडी तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 247रकबा 0.784 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.202 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-1-2018 को ग्राम सिरडी में आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 09 पारित किया जाकर मौजा सिरडी तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 247 रकबा 0.784 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.202 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा सिरडी स्थित खसरा नंबर 247 रकबा 0.784 हेक्टेयर भूमि सड़क मद में दर्ज है।

(4)- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त) द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, संलग्न नक्शे में रास्ते की चौड़ाई 60 फीट है, आबादी घोषित किए जाने के पश्चात् 25 फीट चौड़ा रास्ता रहेगा जिससे सुगमता से आना जाना किया जा सकता है। अत: प्रतिवेदित रकबा को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा। नायब तहसीलदार मुलताई के प्रतिवेदन के आधार पर,, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा, मौजा सिरडी तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 247 रकबा 0.784 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.202 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा

समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त)/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सिरडी तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 247 रकबा 0.784 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.202 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 61 /अ-59/2017-18/ 5569 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
2- नायब तहसीलदार मुलताई (मासोद वृत्त)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत सिरडी जनपद पंचायत प्रभातपट्टन की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.